

घनी आबादी वाले ऐसे क्षेत्रों की सूची जहाँ 100 वर्गमीटर तक के मानचित्र निर्धारित सेट बैक छोड़े जाने पर स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है

1. साउथ मलाका, 2. राम बाग, 3. ईद गाह, 4. डी0 रोड, 5. हिन्दी साहित्य सम्मेलन रोड, 6. शहरारा बाग, 7. मोहत्सिमगंज, 8. कोठा पार्चा, 9. हटिया बहादुरगंज, 10. चक, 11. बादशाही मण्डी, 12. महाजनी टोला, 13. चारु चन्द्र, 14. त्रिपोलिया, 15. पान दरीबा, 16. शाहगंज, 17. सब्जी मण्डी मुहल्ला, 18. शाहनूर अलीगंज, 19. गली हम्मान, 20. नाल बंद टोला, 21. पत्थर गली, 22. शिव चरन लाल रोड, 23. जीरो रोड, 24. लीडर रोड, 25. हीवेट रोड, 26. एस0सी0 बासू रोड, 27. गोसाई टोला, 28. माची सिंह, 29. गढ़ी कला, 30. मिनहाजपुर मुहल्ला, 31. गाड़ीवान टोला, 32. सेवई मण्डी, 33. कोलहन टोला, 34. कटरा मोहल्ला, 35. कर्नलगंज मोहल्ला, 36. दारागंज, 37. रानी मण्डी, 38. खुल्दाबाद, 39. हिम्मत गंज, 40. दरियाबाद, 41. बक्शी बाजार, 42. नई बस्ती करैला बाग, 43. अटाला, 44. बैदन टोला, 45. अतरसुईया, 46. दाराशाह अजमल, 47. रसूलपुर, 48. मीरापुर, 49. कटघर, 50. मुठ्ठीगंज, 51. अहियापुर, 52. कीड़गंज, 53. नई बस्ती गऊघाट, 54. पुरा घाकू, 55. पुरावल्दी, 56. नखास कोहना, 57. बैरन टोला, 58. अलोपीबाग, 59. सोहबतियाबाग, 60. तुलाराम बाग, 61. सुल्तानपुर भावा, 62. बलुवाघाट, 63. टैगोर टाउन, 64. बैरहना, 65. ममफोर्डगंज, 66. म्योराबाद, 67. फाफामऊ, 68. रसूलाबाद, 69. जोधवल, 70. मेंहदौरी, 71. शिवकुटी, 72. चिरला, 73. गोविन्दपुर, 74. चाँदपुर सलोरी, 75. सुतुरखाना (गल्ला बाजार), 76. सादियाबाद, 77. छोटा बघाड़ा, 78. रामप्रिया रोड, 79. ढरहरिया, 80. अल्लापुर, 81. पूरा दलेल, 82. पूरा पड़ाइन, 83. इन्द्रपुरी, 84. छीतपुर, 85. करनपुर, 86. फतेहपुर विछवा, 87. भोला का पूरा, 88. रम्मन का पूरा, 89. जयन्तीपुर, 90. सुलेम सराय, 91. नींवा, 92. जयरामपुर, 93. हरवारा, 94. गयासुद्दीनपुर, 95. सराय बेगम, 96. नीम सराय, 97. मुण्डेरा, 98. बम्हरौली, 99. झलवा, 100. राजरूपपुर, 101. कसारी मसारी, 102. चकिया, 103. चक निरातुल, 104. बेनीगंज, 105. निहालपुर, 106. अकबरपुर, 107. पुष्पांजलि नगर, 108. करबला, 109. नयापुरा, 110. बाग मनोहर दास, 111. करैली, करामत की चौकी, 112. पीपल गाँव, 113. गुरु तेग बहादुर नगर, 114. ककरहा घाट, 115. डाड़ी (नैनी), 116. गुरु नानक नगर, 117. त्रिवेणी नगर, 118. अरइल, 119. सड़वा गांव, 120. नैनी, 121. झूंसी, 122. चक महीन, 123. चक हरिहरवन, 124. एलनगंज।

- नोट :-**
1. क्र0सं0 77, 78 एवं 85 के अंतर्गत भवन निर्माण की अनुमति मेला प्रशासन से प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
  2. उपरोक्त सूचना केवल आवासीय भूखण्डों हेतु है। आवासीय अतिरिक्त अन्य भू-उपयोग हेतु नियमानुसार भवन मानचित्र इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से स्वीकृत करवाना अनिवार्य होगा।
  3. उपरोक्त मुहल्लों की सूची के अतिरिक्त अन्य मुहल्लों जिसका उल्लेख महायोजना मानचित्र के अन्तर्गत नहीं किया लेकिन वह पुरानी एवं निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं उन पर भी उपरोक्त नियम लागू होंगे।